

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक ८९५ /गोपनीय/2019  
दो-३-२५०/५७ (भाग-३८)

जबलपुर, दिनांक ०६ अगस्त, २०१९

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा ८ की उपधारा (१) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा ११ की उपधारा (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन फा. क्रमांक ३(ए)२०१८/२१-ब(एक), दिनांक २७/२८-०६-२०१९ दिनांक ०२-०८-२०१९ द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-२ (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (३) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (४) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-२ के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(१)	(२)	(३)	(४)
१	सुश्री पूजा वर्मा, (मेरिट क्रमांक ७६) (आदेश क्रमांक ३४१०)	शिवपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-२, शिवपुरी के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)।
२	श्री अतुल यादव, (मेरिट क्रमांक ८७) (आदेश क्रमांक ३२५०)	अलीराजपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-२, अलीराजपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

  
६/९/१९  
(राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक ८९६ /गोपनीय/2019  
दो-३-२५०/५७ (भाग-३८)

जबलपुर, दिनांक ०६ अगस्त, २०१९

प्रतिलिपि –

- उपनियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, हबीबगंज, भोपाल-६ को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल – ४६२००४ को सूचनार्थ अग्रेषित।
- प्रधान महालेखाकार (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी०एम० अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा/हकदारी) प्रथम मध्यप्रदेश लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-४७४००२ को सूचनार्थ अग्रेषित।
- महालेखाकार (२) मध्यप्रदेश – ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।

5.

1. सुश्री पूजा वर्मा पुत्री श्री हरि राम वर्मा, निवासी— 76, गणपति विहार, साकेत नगर के पास, तानसेन रोड, थाना पड़ाव, ग्वालियर (म.प्र.) पिन—474002,

2. श्री अतुल यादव पुत्र श्री हरीसिंह यादव, निवासी— म.नं. 78, जगदीश कॉलोनी, तहसील के पीछे, गुना, जिला गुना (म.प्र.) पिन—473001,

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी पदस्थापना के संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पदस्थापना के स्थान पर आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अंदर निश्चित रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेवें तथा पदभार ग्रहण संबंधी सूचना संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से तत्काल उच्च न्यायालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, **शिवपुरी / अलीराजपुर** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया नवनियुक्त व्यवहार न्यायाधीश द्वारा पदभार ग्रहण करने संबंधी प्रतिवेदन की प्रति इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें। वे कृपया संबंधित प्रशिक्षणार्थी व्यवहार न्यायाधीश को रजिस्ट्री अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 670/गोपनीय/2011, दिनांक 30-04-2011 के साथ संलग्न प्रशिक्षण स्कीम के अनुसार प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि नवनियुक्त न्यायाधीश उनके जिला न्यायाधीशों के निर्देशानुसार जिले में पदस्थ विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के न्यायालयों में उनके साथ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, सिवाय जबकि वे मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों। यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित प्रशिक्षणार्थी व्यवहार न्यायाधीशों को मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर में प्रशिक्षण दिये जाने संबंधी तिथि की सूचना अलग से प्रेषित की जावेगी।

7. संभागीय आयुक्त \_\_\_\_\_ जिलाध्यक्ष \_\_\_\_\_ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि जनरल पूल का आवास गृह न्यायिक अधिकारी के आधिपत्य में होने की दशा में उक्त आवासग्रह का आवंटन प्रचलित परिपाठी के अनुसार अर्हता प्राप्त न्यायिक अधिकारी को करने का कष्ट करें। और ऐसे आवंटन की सूचना संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को देने का कष्ट करें।

8. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :—

(1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, **जबलपुर/जिला जज (निरीक्षण)**, जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्डौर-452001/जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, **ग्वालियर (म0प्र0)** को सूचनार्थ अग्रेषित।

(2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्डौर/इन्डौर को सूचनार्थ अग्रेषित।

(3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, **ग्वालियर** को सूचनार्थ अग्रेषित।

(4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

(5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

(6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (कार्य एवं अधोसंरचना)/ (आई0एल0)/ (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

(7) संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

9. रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

10. रजिस्ट्रार-कम-माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

11. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

12. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
13. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
14. रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
15. अनुभाग अधिकारी, पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।



\* (राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल  
से